विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 2127 दिनांक : 10|10|2016

प्रति,

प्राचार्य,
फ्यूचर विजन कॉलेज,
उज्जैन(म.प्र.)।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/44,दिनांक 31.03.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2016 में प्रस्तुत किया गया,उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1.	बी.बी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
2.	बी.सी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
3.	बी.कॉम.(आनर्स)	पूर्व सत्रानुसार
4.	बी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
5.	बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन,फॉरेन ट्रेड, टैक्स प्रोसिजर, एण्ड प्रेक्टीस,/प्लेन)	पूर्व सत्रानुसार
6.	बी.एससी.(प्लेन,कम्प्यूटर विज्ञान,,भौतिक,रसायन,गणित,प्राणिकी,बॉयोटेक्नालॉजी,आई.टी.)	पूर्व सत्रानुसार
7.	एम.कॉम.	पूर्व सत्रानुसार
8.	एम.एस.डब्ल्यू.	पूर्व सत्रानुसार
9.	एम.एससी.(रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान,गणित)	पूर्व सत्रानुसार
10.	पी.जी.डी.सी.एस.ए.	पूर्व सत्रानुसार

शर्तें :-

1. महाविद्यालय में माईक्रोबॉयोलॉजी/बॉयोटेक्नोलॉजी/बॉयोलाजी/रसायन विषयों की प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है,परन्तु अध्यनरत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रयोगशालाओं के लिए उपलब्ध स्थान(स्पेस) पर्याप्त नहीं है। माईक्रोबॉयोलॉजी/बॉयोटेक्नोलॉजी/बॉयोलाजी/रसायन की प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने की सुविधाओं का अभाव है।
2. अध्ययनरत छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित आकार एवं क्षमता के अध्ययनरत कक्ष पर्याप्त नहीं है। संकाय सदस्यों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित आकारएवं क्षमता के फेकल्टी कामन रूम नहीं है।
3. पस्तकालय एवं रीडिंग रूम एक ही कमरे में स्थित है रीडिंग रूम के लिए स्थान अपर्याप्त है अध्ययनरत छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सभी विषयों में अतिरिक्त पुस्तकों को क्रय करने की आवश्यकता है।
4. कॉलेज कोड 28 में अनेक शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। यद्यपि इस संबंध में चयनित हुए कार्यरत शिक्षकों की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय से मंगवाना अपेक्षित है कुछ विषयों के शिक्षकों का कोड 28 में चयन की प्रक्रिया लम्बित है।

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 1885 दिनांक :- 13-06-16

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- फ्यूचर विजन कॉलेज,उज्जैन।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-

(1) बी.बी.ए.
(2) बी.सी.ए.
(3) बी.कॉम.(आनर्स)
(4) बी.ए.
(5) बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन,फॉरेन ट्रेड,टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस/प्लेन)
(6) बी.एससी.(प्लेन,कम्प्यूटर विज्ञान,भौतिक,रसायन,गणित,प्राणिकी, बॉयोटेक्नालॉजी,आई.टी.)
(7) एम.कॉम.
(8) एम.एस.डब्ल्यू.
(9) एम.एससी.(रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान,गणित)
(10)पी.जी.डी.सी.एस.ए.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. एच.पी.सिंह - आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्रो. आर.के. जैन - आचार्य,पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. प्रो. एम.एस. परिहार - विभागाध्यक्ष,प्राणिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रो. बी.के. मेहता - विभागाध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

निरंतर...02